

संचिका संख्या- ब15/बी0एस0जी0-15/2020-331/वि0

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

पंकज कुमार सिन्हा,
संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना
महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:- 05.03.2020

विषय:- बिहार विनियोग अधिनियम, 2020 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंधित राशि के व्यय के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बिहार विनियोग विधेयक, 2020 पर महामहिम राज्यपाल ने दिनांक: 05.03.2020 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। विधि विभाग ने बिहार विनियोग अधिनियम 2020 (बिहार अधिनियम 02, 2020) को अधिसूचना संख्या-एल0जी0-01-02/2020/लेज:-1658 एवं 1656 (अंग्रेजी अनुवाद) दिनांक: 05.03.2020 द्वारा अधिसूचित किया है, जिसे बिहार गजट असाधारण के अंक संख्या-191, दिनांक-05.03.2020 से प्रकाशित किया गया है।

2. बिहार गजट असाधारण के अंक संख्या-191 दिनांक-05.03.2020 की पाँच प्रतियाँ, प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना एवं 35 प्रतियाँ महालेखाकार, ले0 एवं हक0 को तथा सभी विभागों को एक-एक प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।

3. उपर्युक्त के आलोक में 31 मार्च, 2020 तक की अवधि के लिए तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण में सीधे अनुसूची के माध्यम से खण्ड-3 भाग-1 में पृष्ठ सं0-1 से 174 तक में प्रावधानित राशि को नियमानुसार व्यय किया जा सकता है। राशि का व्यय बिहार गजट की अनुसूची में प्रदर्शित प्रत्येक मांग/विनियोग के लिए राजस्व एवं पूंजी के अधिकतम राशि तक ही किया जा सकता है। अगर कोई नये उपशीर्ष में राशि प्रावधानित की गयी हो तो उस उपशीर्ष से राशि का व्यय महालेखाकार से उक्त उपशीर्ष के खोलने संबंधी सहमति पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही किया जाना है। राज्य योजना अन्तर्गत यदि उद्व्यय के प्रत्याशा में राशि प्रावधानित की गई हो तो, उसके लिए योजना एवं विकास विभाग से अतिरिक्त उद्व्यय/उद्व्यय का सामंजन प्राप्त कर राशि का व्यय किया जाना है ।

4. वित्तीय वर्ष 2019-20 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण पुस्तिका की प्रति विभागों एवं प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना एवं महालेखाकार (ले0 एवं हक0) को पत्रांक: 308 दिनांक: 27.02.2020 द्वारा पूर्व में ही प्रेषित किया जा चुका है।

5. तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी से संबंधित गजट को बिहार गजट के वेबसाईट <http://egazette.nic.in/> पर देखा जा सकता है।


विश्वासभाजन,


(पंकज कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-15/2020- 331/वि0 पटना, दिनांक: 05.03.2020


प्रतिलिपि-महामहिम राज्यपाल के सचिव/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/आरक्षी महानिदेशक, बिहार, पटना/महानिदेशक, अभियोजन निदेशालय, गृह विभाग/सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद्/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/अध्यक्ष, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग/स्थानीय आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, नई दिल्ली/मुख्य मंत्री के सचिव/मंत्री, वित्त विभाग के आप्त सचिव /लोकायुक्त के सचिव/सचिव, राजस्व पर्षद/महानिरीक्षक, कारा, गृह विभाग/राज्य सूचना आयोग के सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विकास आयुक्त के सचिव को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(पंकज कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-15/2020- 331/वि0 पटना, दिनांक: 05.03.2020

प्रतिलिपि-सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(पंकज कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-15/2020- 331/वि0 पटना, दिनांक: 05.03.2020

प्रतिलिपि- निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/निदेशक, श्रम निदेशालय, श्रम संसाधन विभाग/निदेशक, पुरातत्व निदेशालय/निदेशक, संग्रहालय निदेशालय, कला संस्कृति एवं युवा विभाग/निदेशक, गव्य निदेशालय/निदेशक, मत्स्य निदेशालय/निदेशक, पशुपालन निदेशालय, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/निदेशक, जन शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, उच्च शिक्षा/निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्/निदेशक, सामाज कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग/निदेशक,


कृषि निदेशालय, कृषि विभाग/निदेशक, चकबंदी/निदेशक, भू-अर्जन निदेशालय/निदेशक, सर्वे निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय/निदेशक, अभिलेखाकार/निदेशक, भूमि संरक्षण/निदेशक, देशी चिकित्सा/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें/निदेशक, सांस्थिक वित्त/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार/सचिव, वाणिज्य-कर न्यायाधिकरण/मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(पंकज कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-15/2020- 331/वि0 पटना, दिनांक: 05.03.2020


प्रतिलिपि- अभिलेखागार पदाधिकारी, बिहार, पटना/उप सचिव, बिहार विधान सभा पुस्तकालय/अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् पुस्तकालय को बिहार गजट की 5-5 प्रतियाँ अभिलेख संधारण हेतु प्रेषित।


(पंकज कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-15/2020- 331/वि0 पटना, दिनांक: 05.03.2020


प्रतिलिपि- मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त (अंकेक्षण) विभाग/निदेशक, प्रेस एवं स्टेशनरी/संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन/अपर सचिव, प्रभारी पदाधिकारी, वित्त शाखा-4 एवं 5/ विशेष सचिव, प्रभारी शाखा-10/अपर सचिव, ई-गवर्नेंस कोषांग/अपर सचिव, कोषागार शाखा/ अपर सचिव, स्थापना/अपर सचिव, लेखा शाखा/ उप सचिव, लोक उद्यम ब्यूरो/ निदेशक, सांस्थिक वित्त/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग के आप्त सचिव/सचिव(व्यय), वित्त विभाग के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, शाखा-10, 13 एवं 4 को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(पंकज कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-15/2020- 331/वि0 पटना, दिनांक: 05.03.2020

प्रतिलिपि- स्थानीय लेखा परीक्षक, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), वीरचन्द्र पटेल मार्ग, बिहार, पटना को बिहार गजट की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(पंकज कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-15/2020- 331/वि0 पटना, दिनांक: 05.03.2020


प्रतिलिपि- सभी उप बजट नियंत्रक सह उप सचिव/उप निदेशक/लेखा पदाधिकारी, वित्त विभाग /प्रणाली विश्लेषक/ आई0 टी0 मैनेजर ई-गवर्नेंस कोषांग को बिहार गजट की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रणाली विश्लेषक/ आई0 टी0 मैनेजर ई-गवर्नेंस कोषांग को निदेशित किया जाता है कि इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दें तथा सभी विभाग/जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल भी कर दें।


(पंकज कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-15/2020- 331/वि0 पटना, दिनांक: 05.03.2020

प्रतिलिपि-बजट शाखा के सभी सहायक बजट नियंत्रक/प्रशाखा पदाधिकारी/सहायकगण को बिहार गजट की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(पंकज कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 फाल्गुन 1941 (श0)
(सं0 पटना 191) पटना, वृहस्पतिवार, 5 मार्च 2020

विधि विभाग

अधिसूचना

5 मार्च 2020

सं० एल0जी0-01-02/2020/1658/लेज:।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 5 मार्च 2020 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
मदन किशोर कौशिक,
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 2, 2020]

बिहार विनियोग अधिनियम, 2020

बिहार राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशि की निकासी 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो ।-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।-

- (1) यह अधिनियम बिहार विनियोग अधिनियम, 2020 कहा जा सकेगा ।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
- (3) यह 01 अप्रैल 2019 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. 2019-20 वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कुल 8868,52,58,000 (आठ हजार आठ सौ अड़सठ करोड़ बावन लाख अठावन हजार) रुपये की निकासी ।- बिहार राज्य की संचित निधि में से इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में, 01 अप्रैल, 2019 को शुरू होने वाले वर्ष के दौरान भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्यय की पूर्ति के लिए, कुल 8868,52,58,000 (आठ हजार आठ सौ अड़सठ करोड़ बावन लाख अठावन हजार) रुपये, जो इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशि से अधिक न होगा, निकाले जा सकेंगे ।

3. विनियोग ।- इस अधिनियम के अधीन बिहार राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशि, 01 अप्रैल, 2019 को शुरू होने वाले वर्ष से संबंधित अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए होगी और उनके संबंध में विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रुपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
1	कृषि विभाग	राजस्व	1,44,47,17,000	0	1,44,47,17,000
		पूंजी	0	0	0
2	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	राजस्व	18,88,67,000	0	18,88,67,000
		पूंजी	0	0	0
3	भवन निर्माण विभाग	राजस्व	6,49,00,000	0	6,49,00,000
		पूंजी	96,86,23,000	0	96,86,23,000
4	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	राजस्व	56,00,000	0	56,00,000
		पूंजी	0	0	0
5	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व	0	30,00,000	30,00,000
		पूंजी	0	0	0
6	निर्वाचन विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
7	निगरानी विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
8	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	राजस्व	45,88,000	0	45,88,000
		पूंजी	0	0	0
9	सहकारिता विभाग	राजस्व	1,73,38,03,000	0	1,73,38,03,000
		पूंजी	78,02,30,000	0	78,02,30,000
10	उर्जा विभाग	राजस्व	31,74,000	0	31,74,000
		पूंजी	0	0	0
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	राजस्व	23,00,000	0	23,00,000
		पूंजी	0	0	0
12	वित्त विभाग	राजस्व	78,01,000	0	78,01,000
		पूंजी	63,59,00,000	0	63,59,00,000
13	सूद भुगतान	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
14	ऋण अदायगियाँ	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूजी	अनधिक राशियां (रुपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
15	पेंशन	राजस्व	10,00,000	0	10,00,000
		पूजी	0	0	0
16	पंचायती राज विभाग	राजस्व	10,00,00,00,000	0	10,00,00,00,000
		पूजी	0	0	0
17	वाणिज्य-कर विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूजी	0	0	0
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	राजस्व	65,14,000	0	65,14,000
		पूजी	0	0	0
19	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	राजस्व	3,58,67,000	0	3,58,67,000
		पूजी	35,12,89,000	0	35,12,89,000
20	स्वास्थ्य विभाग	राजस्व	5,46,01,38,000	0	5,46,01,38,000
		पूजी	0	0	0
21	शिक्षा विभाग	राजस्व	9,66,59,17,000	0	9,66,59,17,000
		पूजी	0	0	0
22	गृह विभाग	राजस्व	13,91,27,000	0	13,91,27,000
		पूजी	15,00,00,000	0	15,00,00,000
23	उद्योग विभाग	राजस्व	52,52,32,000	0	52,52,32,000
		पूजी	50,00,00,000	0	50,00,00,000
24	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूजी	0	0	0
25	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	8,91,18,000	0	8,91,18,000
		पूजी	15,82,00,000	0	15,82,00,000
26	श्रम संसाधन विभाग	राजस्व	13,88,97,000	0	13,88,97,000
		पूजी	0	0	0
27	विधि विभाग	राजस्व	3,37,50,000	0	3,37,50,000
		पूजी	0	0	0
28	उच्च न्यायालय	राजस्व	0	0	0
		पूजी	0	0	0
29	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूजी	0	0	0

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रुपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व	37,12,000	0	37,12,000
		पूंजी	0	0	0
31	संसदीय कार्य विभाग	राजस्व	2,00,000	0	2,00,000
		पूंजी	0	0	0
32	विधान मंडल	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
33	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
34	बिहार लोक सेवा आयोग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
35	योजना एवं विकास विभाग	राजस्व	23,00,000	0	23,00,000
		पूंजी	33,000	0	33,000
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	45,68,00,000	0	45,68,00,000
37	ग्रामीण कार्य विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	50,00,00,000	0	50,00,00,000
38	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	राजस्व	13,15,00,000	0	13,15,00,000
		पूंजी	0	0	0
39	आपदा प्रबंधन विभाग	राजस्व	11,17,00,00,000	0	11,17,00,00,000
		पूंजी	0	0	0
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व	8,76,95,000	0	8,76,95,000
		पूंजी	0	0	0
41	पथ निर्माण विभाग	राजस्व	1,50,00,00,000	0	1,50,00,00,000
		पूंजी	3,000	0	3,000
42	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	22,76,80,10,000	0	22,76,80,10,000
		पूंजी	0	0	0
43	विज्ञान एवं प्राविधिकी विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रुपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	राजस्व	10,00,00,000	0	10,00,00,000
		पूंजी	0	0	0
45	गन्ना उद्योग विभाग	राजस्व	23,00,000	0	23,00,000
		पूंजी	0	0	0
46	पर्यटन विभाग	राजस्व	9,16,30,000	0	9,16,30,000
		पूंजी	0	0	0
47	परिवहन विभाग	राजस्व	2,000	0	2,000
		पूंजी	0	0	0
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	राजस्व	33,81,41,000	0	33,81,41,000
		पूंजी	0	0	0
49	जल संसाधन विभाग	राजस्व	4,08,00,000	0	4,08,00,000
		पूंजी	14,78,52,10,000	0	14,78,52,10,000
50	लघु जल संसाधन विभाग	राजस्व	2,69,00,000	0	2,69,00,000
		पूंजी	0	0	0
51	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	3,58,14,70,000	0	3,58,14,70,000
		पूंजी	0	0	0
योग राजस्व			69,39,59,70,000	30,00,000	69,39,89,70,000
योग पूंजी			19,28,62,88,000	0	19,28,62,88,000
महायोग			88,68,22,58,000	30,00,000	88,68,52,58,000

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मदन किशोर कौशिक,

सरकार के सचिव।

5 मार्च 2020

सं० एल०जी०-०१-०२/२०२०/१६५६/लेज:।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 5 मार्च 2020 को अनुमत बिहार विनियोग अधिनियम, 2020 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मदन किशोर कौशिक,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 2, 2020]

THE BIHAR APPROPRIATION ACT, 2020

AN

ACT

TO AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN AMOUNT FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE OF BIHAR FOR THE SERVICES DURING THE YEAR ENDING THE THIRTYFIRST DAY OF MARCH, 2020.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the seventy-first year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement .-

- (1) This Act may be called the Bihar Appropriation Act, 2020.
- (2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.
- (3) It shall come into force with effect from 1st April 2019.

2. Withdrawal of total Rs.- 8868,52,58,000 (Eight thousand Eight hundred Sixty eight crore Fifty two lakh and Fifty eight Thousand), out of the Consolidated Fund of the State of Bihar for the year 2019-20.- Total Rs.- 8868,52,58,000 (Eight thousand Eight hundred Sixty eight crore Fifty two lakh and Fifty eight Thousand), which will not be more than the amount mentioned in column-6 of the schedule of this Act from The Consolidated Fund of The State of Bihar to meet various expenses to be incurred related to the payment during the year commencing from 1st April, 2019 in relation to the services mentioned in column-2 of the Schedule of this Act.

3. Appropriation.- The amount authorized for withdrawal from and out of the Consolidated Fund of the State of Bihar under this Act will be for the purposes and services mentioned in the Schedule concerned related to the year commencing from first day of April, 2019 and will be appropriated in respect of them.

SCHEDULE
(See Section 2 and 3)

Grant/ Appropriation Number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue Capital	Sums not exceeding (In Rupees)		
			Grant made by the Bihar Legislature	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3	4	5	6
1	Agriculture Department	Revenue	1,44,47,17,000	0	1,44,47,17,000
		Capital	0	0	0
2	Animal and Fisheries Resource Department	Revenue	18,88,67,000	0	18,88,67,000
		Capital	0	0	0
3	Building Construction Department	Revenue	6,49,00,000	0	6,49,00,000
		Capital	96,86,23,000	0	96,86,23,000
4	Cabinet Secretariat Department	Revenue	56,00,000	0	56,00,000
		Capital	0	0	0
5	Secretariat of the Governor	Revenue	0	30,00,000	30,00,000
		Capital	0	0	0
6	Election Department	Revenue	0	0	0
		Capital	0	0	0
7	Vigilance Department	Revenue	0	0	0
		Capital	0	0	0
8	Art, Culture and Youth Department	Revenue	45,88,000	0	45,88,000
		Capital	0	0	0
9	Co-operative Department	Revenue	1,73,38,03,000	0	1,73,38,03,000
		Capital	78,02,30,000	0	78,02,30,000
10	Energy Department	Revenue	31,74,000	0	31,74,000
		Capital	0	0	0
11	BC and MBC Welfare Department	Revenue	23,00,000	0	23,00,000
		Capital	0	0	0
12	Finance Department	Revenue	78,01,000	0	78,01,000
		Capital	63,59,00,000	0	63,59,00,000
13	Interest Payment	Revenue	0	0	0
		Capital	0	0	0
14	Repayment of Loans	Revenue	0	0	0
		Capital	0	0	0
15	Pension	Revenue	10,00,000	0	10,00,000
		Capital	0	0	0
16	Panchayati Raj Department	Revenue	10,00,00,00,000	0	10,00,00,00,000
		Capital	0	0	0
17	Commercial Tax Department	Revenue	0	0	0
		Capital	0	0	0
18	Food and Consumer Protection Department	Revenue	65,14,000	0	65,14,000
		Capital	0	0	0
19	Environment Forest and Climate Change Department	Revenue	3,58,67,000	0	3,58,67,000
		Capital	35,12,89,000	0	35,12,89,000
20	Health Department	Revenue	5,46,01,38,000	0	5,46,01,38,000
		Capital	0	0	0
21	Education Department	Revenue	9,66,59,17,000	0	9,66,59,17,000
		Capital	0	0	0
22	Home Department	Revenue	13,91,27,000	0	13,91,27,000
		Capital	15,00,00,000	0	15,00,00,000

Grant/ Appropriation Number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue Capital	Sums not exceeding (In Rupees)		
			Grant made by the Bihar Legislature	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3	4	5	6
23	Industries Department	Revenue	52,52,32,000	0	52,52,32,000
		Capital	50,00,00,000	0	50,00,00,000
24	Information and Public Relation Department	Revenue	0	0	0
		Capital	0	0	0
25	Information Technology Department	Revenue	8,91,18,000	0	8,91,18,000
		Capital	15,82,00,000	0	15,82,00,000
26	Labour Resource Department	Revenue	13,88,97,000	0	13,88,97,000
		Capital	0	0	0
27	Law Department	Revenue	3,37,50,000	0	3,37,50,000
		Capital	0	0	0
28	High Court of Bihar	Revenue	0	0	0
		Capital	0	0	0
29	Mines and Geology Department	Revenue	0	0	0
		Capital	0	0	0
30	Minorities Welfare Department	Revenue	37,12,000	0	37,12,000
		Capital	0	0	0
31	Parliamentary Affairs Department	Revenue	2,00,000	0	2,00,000
		Capital	0	0	0
32	Legislature	Revenue	0	0	0
		Capital	0	0	0
33	General Administration Department	Revenue	0	0	0
		Capital	0	0	0
34	Bihar Public Service Commission	Revenue	0	0	0
		Capital	0	0	0
35	Planning and Development Department	Revenue	23,00,000	0	23,00,000
		Capital	33,000	0	33,000
36	Public Health Engineering Department	Revenue	0	0	0
		Capital	45,68,00,000	0	45,68,00,000
37	Rural Works Department	Revenue	0	0	0
		Capital	50,00,00,000	0	50,00,00,000
38	Prohibition, Excise, and Registration Department	Revenue	13,15,00,000	0	13,15,00,000
		Capital	0	0	0
39	Disaster Management Department	Revenue	11,17,00,00,000	0	11,17,00,00,000
		Capital	0	0	0
40	Revenue and Land Reforms Department	Revenue	8,76,95,000	0	8,76,95,000
		Capital	0	0	0
41	Road Construction Department	Revenue	1,50,00,00,000	0	1,50,00,00,000
		Capital	3,000	0	3,000
42	Rural Development Department	Revenue	22,76,80,10,000	0	22,76,80,10,000
		Capital	0	0	0

Grant/ Appropriation Number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue Capital	Sums not exceeding (In Rupees)		
			Grant made by the Bihar Legislature	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3	4	5	6
43	Science and Technology Department	Revenue	0	0	0
		Capital	0	0	0
44	SC & ST Welfare Department	Revenue	10,00,00,000	0	10,00,00,000
		Capital	0	0	0
45	Sugar Industries Department	Revenue	23,00,000	0	23,00,000
		Capital	0	0	0
46	Tourism Department	Revenue	9,16,30,000	0	9,16,30,000
		Capital	0	0	0
47	Transport Department	Revenue	2,000	0	2,000
		Capital	0	0	0
48	Urban Development and Housing Department	Revenue	33,81,41,000	0	33,81,41,000
		Capital	0	0	0
49	Water Resources Department	Revenue	4,08,00,000	0	4,08,00,000
		Capital	14,78,52,10,000	0	14,78,52,10,000
50	Minor Water Resource Department	Revenue	2,69,00,000	0	2,69,00,000
		Capital	0	0	0
51	Social Welfare Department	Revenue	3,58,14,70,000	0	3,58,14,70,000
		Capital	0	0	0
Total Revenue			69,39,59,70,000	30,00,000	69,39,89,70,000
Total Capital			19,28,62,88,000	0	19,28,62,88,000
Grand Total			88,68,22,58,000	30,00,000	88,68,52,58,000

By order of the Governor of Bihar,
MADAN KISHORE KAUSHIK,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 191-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>